

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1. राजस्व अपील संख्या 86 / 2020

श्री कैलाश पुत्र श्री मोडू, जाति नायक, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर

.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, जिला अजमेर

.....रेस्पॉन्डेन्ट

2. राजस्व अपील संख्या 87 / 2020

श्री रतना पुत्र श्री रोडू, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर

.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, जिला अजमेर

.....रेस्पॉन्डेन्ट

3. राजस्व अपील संख्या 90 / 2020

श्री धन्ना पुत्र श्री श्रीकिशन, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर

.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, जिला अजमेर

.....रेस्पॉन्डेन्ट

4. राजस्व अपील संख्या 91 / 2020

श्री किशनलाल पुत्र श्री छीतर, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर

.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, जिला अजमेर

.....रेस्पॉन्डेन्ट



अपर कलक्टर,
अजमेर

5. राजस्व अपील संख्या 94/2020

श्री घीसा पुत्र श्री मोडू, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, जिला अजमेर

.....रेस्पॉन्डेन्ट

6. राजस्व अपील संख्या 114/2020

श्री चेतन पुत्र श्री हाथीराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई, जिला अजमेर

.....रेस्पॉन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956

- उपस्थित :-
1. श्री एजाज अहमद कुरैशी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
 2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

:- आदेश :-

दिनांक - 15.01.2021

उपरोक्त सातों ही अपीलों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दु नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जावे।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि संवत् 2076 में श्री कैलाश पुत्र श्री मोडू, जाति नायक, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर ने ग्राम सील के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 100/3 में से रकबा 00-10-00 बीघा पर बाड़ लगाकर, श्री रतना पुत्र श्री रोडू, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर ने ग्राम सील के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 100/3 में से रकबा 00-10-00 बीघा पर बाड़ लगाकर, श्री धन्ना पुत्र श्री



अपर कलेक्टर,
अजमेर

श्रीकिशन, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर ने ग्राम सील के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 100/3 में से रकबा 00-10-00 बीघा पर बाड लगाकर, श्री किशनलाल पुत्र श्री छीतर, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर ने ग्राम सील के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 100/3 में से रकबा 00-05-00 बीघा पर बाड लगाकर, श्री घीसा पुत्र श्री मोडू, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर ने ग्राम सील के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 100/3 में से रकबा 00-10-00 बीघा पर बाड लगाकर, श्री चेतन पुत्र श्री हाथीराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर ने ग्राम सील के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 100/3 में से रकबा 00-10-00 बीघा पर बाड लगाकर व श्री दशरथ पुत्र श्री मोडू, जाति जाट, निवासी ग्राम सील, तहसील अरांई, जिला अजमेर ने ग्राम सील के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 100/3 में से रकबा 00-10-00 बीघा पर बाड लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार अरांई के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या क्रमशः 117/2019, 122/2019, 118/2019, 114/2019, 128/2019 व 125/2019 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 14.11.2019 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त उन्हे पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 14.11.2019 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पॉन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्याय हित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विवादित भूमि पर से अपना अनाधिकृत रूप से किया गया अतिक्रमण हटा लेने का निवेदन कर दिया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये तथा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि वर्तमान में विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब अतिक्रमियों द्वारा अपना कब्जा हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को न्यायहित में निरस्त किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T. 2009(2) पेज 858 व R.R.T. 2008(1) पेज 479 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र उन्होंने वाद ग्रस्त आराजी से



अपर कलक्टर,
अजमेर

कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा माफ की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्त द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया है इस तथ्य को अपीलान्त ने स्वयं स्वीकार किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। जहां तक अपीलान्त का कथन है कि उन्होंने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तो इस आशय का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करे कि "उन्होंने विवादित भूमि से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। तहसीलदार स्वयं विवादित भूमि का मौका निरीक्षण करे कि यदि अपीलान्त का कब्जा हो तो सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी अन्यथा स्थिति में केवल सजा माफ की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। जिस दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है। अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। जहां तक 90 दिवस के कारावास की सजा में नरमी का रूख अपनाये जाने का प्रश्न है, अपीलान्त की ओर से इस अपील के साथ कब्जा नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रखा है। अपीलान्त के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में से केवल सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार स्वयं अथवा हल्का पटवारी के मार्फत एक सप्ताह में यह सुनिश्चित कर लेवे कि वादग्रस्त आराजी से अपीलान्त ने अपना कब्जा छोड दिया है तथा उन्होंने राज्य हित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलान्त द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय भूमि पर अपीलान्त कब्जा नहीं करेगा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है, इन सब तथ्यों बाबत तहसीलदार इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली में आदेशिका उल्लेखित करने के उपरांत सजा को इस निर्णयानुसार स्थगित रख सकेगा यदि अपीलान्त द्वारा एक माह में उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है अथवा पुनः राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया जाता है तो तहसीलदार इस निर्णय से स्थगित किए गये निर्णय को प्रभावी मानकर अपीलान्त को नियमानुसार सजा भुगतवायेगा तथा अपीलान्त की अपील पूर्ण रूप से खारिज मानी जायेगी एवं सजा यथावत रहेगी।

आदेश आज दिनांक 15.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर, अजमेर
अपर कलक्टर, अजमेर